भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2913

जिसका उत्तर 27 मार्च, 2023 को दिया जाना है

कोयले का बढ़ता आयात

2913. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में आयात किए गए कुल कोयले का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले कुछ वर्षों में कोयले के आयात पर होने वाले व्यय में कई गुना वृद्धि हुई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की वर्ष 2024-25 से कोयला का आयात समाप्त करने की योजना की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार वर्ष 2024-25 तक कोयले का आयात रोकने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है; और

(ड.) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख) : पिछले पांच वर्षों के दौरान आयात किए गए कोयले और उनके मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(मात्रा मिलियन टन में और मूल्य मिलियन रूपये में)

वर्ष	कोकिंग कोयला		गैर-कोकिंग कोयला		कुल कोयला	
	मात्रा	मूल्य रूपये	मात्रा	मूल्य रूपये	मात्रा	मूल्य रूपये
2017-18	47.003	595226.36	161.245	789543.41	208.249	1384769.77
2018-19	51.838	720497.64	183.510	988707.26	235.348	1709204.90
2019-20	51.833	612668.32	196.704	914652.23	248.537	1527320.55
2020-21	51.198	453552.10	164.054	706688.44	215.251	1160240.54

2021-22	57.161	1029958.47	151.772	1257459.99	208.934	2287418.46
2022-23 (दिसंबर, 22)	43.208	1240261.774	142.851	1872213.394	186.059	3112475.169

(ग) से (ड.) : कोयले के आयात में कमी के लिए किए गए उपाय नीचे दिए गए हैं:

(i) घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है जो आत्मनिर्भरता हासिल करने और आयात किए गए कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक है। वर्ष 2021-22 में, कोयला उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 8.67% बढ़ा है। चालू वर्ष के दौरान फरवरी, 2023 तक घरेलू कोयले का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 15% से अधिक बढ़ा है। वर्ष 2024-25 में घरेलू कोयला उत्पादन के लगभग 1112 मि.ट. तक पहुंचने का लक्ष्य है।

(ii) कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई प्रमुख पहलों में सिंगल विंडो क्लीयरेंस, कैप्टिव खानों को अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद अपने वार्षिक उत्पादन का 50% तक बेचने की अनुमति देने हेतु खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करना, एमडीओ मॉडल के माध्यम से उत्पादन करना, आधुनिक प्रौद्योगिकियों जैसे सतही खनिक, सतत खनिक आदि का उपयोग बढ़ाना, नई परियोजनाओं को शुरू करना और मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार करना तथा निजी कंपनियों/पीएसयू को कोयला ब्लॉकों की नीलामी करना शामिल हैं। वाणिज्यिक खनन के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

(iii) इसके अलावा कोयला आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) गठित की गई है जिसमें कोयला मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, खान मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड, एससीसीएल, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समिति प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ एक बड़े मंच पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती है ताकि कोयले के आयात को समाप्त करने हेतु अपने संबंधित क्षेत्र के कोयला उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनका मार्गदर्शन किया जा सके।
